

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनाथ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

आसूचना सं. 38/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2019

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) का धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतर्गत जारी आसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा आसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निर्माणाखत तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनाथ उपयुक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसों के संबंध में उपयुक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपयुक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र.	विवरण	सं. नि.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्रा. नि.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै टाइगर सर्जिकल डिसपोसेबल प्रा. लि., प्लॉट सं. 80/4-5-6, फेस-I, जीआईडीसी वत्वा, अहमदाबाद-382445 और श्री जगदीशकुमार आर. पटेल, प्रबंध निदेशक, मै टाइगर सर्जिकल डिसपोसेबल प्रा. लि., निवासी C-83, गोयल कॉम्प्लेक्स, आशिमा टावर के सामने, संदेश प्रैस बोदकदेव के पास,	फ़ा. सं. DRI/AZU/ CI/Enq-22 (Int-05)/ 2019-Tiger/2458-68 दिनांक 24.07.2019 दिनांक 16.08.2019 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, अहमदाबाद. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (नियात-II), न्यू कस्टम हाउस, मुंबई. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क, इनलड कंटेनर डिपो-साबरमती, अहमदाबाद. सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क, जामनगर.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, अहमदाबाद.

	अहमदाबाद-380054.		संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	
2.	मै अरोमा हाइ टेक लि., एनएच 14, लदबीनाला के निकट, दोसा हाइवे, पालनपुर-385001, श्री दीपककुमार के. शाह, निदेशक, मै अरोमा हाइ टेक लि., निवासी 4, कल्याण सोसाइटी, मानसरोवर रोड, पालनपुर-385001 और श्री विनयकुमार के. शाह, निदेशक, मै अरोमा हाइ टेक लि., निवासी 4, कल्याण सोसाइटी, मानसरोवर रोड, पालनपुर-385001	फ़ा. सं. DRI/AZU/ CI/Enq-21(Int-05)/ 2019-Aroma/2469- 78 दिनांक 19.07.2019.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, बालाजी मंदिर के निकट, कांडला. सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क (नियात-II), न्यू कस्टम हाउस, मुंबई. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, बालाजी मंदिर के निकट, कांडला.

[. . . DRI/HQ-CI/50D/CAA-31/2019-CI]

(श्री)
f

प्रतिरूप सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिणयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निणयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिणयन प्राधिकारी।
3. प्रधान/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-अहमदाबाद को इस निवेदन के साथ कि वे उनके जोनल यूनिट से संबंधित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियाँ को समान न्याय निणयनन अधिकारी को नियुक्ति के बारे में सूचित कर। यह भी निवेदन है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस को अभिस्वीकृत (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निणयन अधिकारी को भेज दे